संख्या 641 / XXIV-3/07/ 01(11)/2007

प्रेषक,

डी०के०कोटिया,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3, देहरादून: दिनांक 26 जून, 2007

विषय:– उत्तराखण्ड प्रदेश मे स्थित शिक्षण संस्थानों को कौंउसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (आई०सी०एस०ई०), नई दिल्ली / सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजुकेशन (सी०बी०एस०ई०), नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उत्तराखण्ड प्रदेश में स्थित शिक्षण संस्थानों को कौंउसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली एवं सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में वर्तमान प्रकिया को संशोधित किया जाता है। उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने के लिए शिक्षण संस्थाओं को अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तर–4 में उल्लिखित विन्दुओ को समाहित करते हुए एक शपथ–पत्र देना अनिवार्य होगा।

2– सी०बी०एस०ई० / आई०सी०एस०ई०, नई दिल्ली परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता हेतु इच्छुक शिक्षण संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए रू० 50,000 / –(रू० पचास हजार मात्र) आवेदन शुल्क के रूप में जमा करना होगा। आवेदन शुल्क की यह धनराशि राजकीय कोषागार में जमा की जानी होगी और निर्धारित आवेदन पत्र के साथ चालान की मूल प्रति संलग्न की जानी होगी। जिन आवेदन–पत्रों के साथ चालान की मूल प्रति संलग्न नहीं होगी, उन आवेदन–पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

3– सी०बी०एस०ई० / आई०सी०एस०ई०, नई दिल्ली परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता हेतु आवेदन पत्र देने की अन्तिम तिथि 31 अगस्त तक मान्य होगी। 31 अगस्त के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को केवल प्रत्येक कलेण्डर मास या उसके बाद के लिए रू० 100 / – (रू० एक सौ मात्र) का विलम्ब शुल्क भुगतान करने पर ही ग्रहण किया जायेगा, किन्तु 30 नवम्बर के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को सम्बन्धित शैक्षिक सत्र में स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऐसे आवेदन पत्रों पर इससे आगामी शैक्षिक सत्र में विचार किया जायेगा।

4– सी०बी०एस०ई० / आई०सी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित विद्यालयों / शिक्षण संस्थाओं को निम्न बिन्दुओं पर

क्रमश.....2

शपथ–पत्र देना होगाः–

क– उत्तराखण्ड में स्थित शिक्षण संस्थानों को कौंउंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन/सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त दोनों बोर्डों द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

ख– विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

ग– विद्यालय की प्रबन्ध समिति मे शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।

घ– विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेगें और उनसे उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।

ङ– संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशनल, नई दिल्ली/कौंसिल फार इण्डियन सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

च– संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

छ– विद्यालय/संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

ज– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगें, संस्था उनका पालन करेगी।

झ– विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

ट– उक्त शर्तो में, बिना शासन के पूर्वानुमोदन के, कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड द्वारा उपर्युक्त प्रस्तर–2 से 4 में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए सम्बन्धित शिक्षण संस्था के सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु आवेदन पत्रों को अपनी सुस्पष्ट संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु शासन को संदर्भित किया जायेगा।

5– शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के सम्भागीय उप/ अपर शिक्षा निदेशक अपने मण्डल में स्थित ऐसे विद्यालयों (जो कौऊंसिंल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली एवं सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र के इच्छुक हो) के सम्बन्ध में नियत्रण अधिकारी होंगे और वे इन शिक्षण संस्थाओं के बारे में पूरा विवरण तत्परता के साथ निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

6– सम्बन्धित विद्यालय/संस्था को सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के उपरान्त सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0, नई दिल्ली के सक्षम अधिकारी द्वारा समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों के मद्देनजर उक्त विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त ही सम्बद्धता प्रदान की जायेगी।

7– अतः कृपया उपर्युक्त के दृष्टिगत प्रदेश के विद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं की सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को अपनी सुस्पष्ट संस्तुति सहित शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0के0कोटिया)
सचिव

संख्या 641(1)/XXIV-3/07/ 01(11)/2007, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव–माननीय शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
2– निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– मण्डलीय शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल,नैनीताल, उत्तराखण्ड
6– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– सचिव, कौऊंसिंल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, प्रगति हाउस तृतीय तल, 47–48, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।
9– सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार, नई दिल्ली।
10–गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(सुवर्द्धन)
अपर सचिव